

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,
ई:मेल :

पत्रांक : 848 / 121
सेवा में,

dfotehri_ua@rediffmail.com

नई टिहरी, दिनांक- 19/10/ 2020

1136 / 10 Mg

7/11/2020

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
घनसाली, मु0-धुमेटीधार।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में पिलखी नैल बौंसला बनचुरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.89 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/37544/2018)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0-08बी/यू0सी0पी0/06/114/2020/एफ0सी0/1367, दिनांक:-29-09-2020।

महोदय,

जनपद-टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना में पिलखी नैल बौंसला बनचुरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.89 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1- शर्त सं0-01 के अनुसार वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

2- शर्त सं0-02 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3- शर्त सं0-03-प्रतिपूरक वनीकरण :-

क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 5.78 है0 ग्राम-बनचुरी सिविल खसरा नं0-4506 भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) मु0-19,48,924.00 (उन्नीस लाख अड़तालिस हजार नौ सौ चौबीस रूपये मात्र) जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि की मांग का विस्तृत आंकलन निम्न प्रकार है:-

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि के मांग का आंकलन

1-प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल - 5.78 है0

2-वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर - 3,37,184.00 (तीन लाख सैन्तीस हजार एक सौ चौरासी)

3-प्रतिपूरक वनीकरण हेतु कुल धनराशि की मांग- 5.78 है0X3,37,184.00=19,48,923.52 या 19,48,924.00

(उन्नीस लाख अड़तालिस हजार नौ सौ चौबीस रूपये मात्र)

ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि का हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि को कब्जे में लिए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी का भूमि को कब्जे में लिये जाने का प्रत्येक वर्ष अमल-दरामद मय नक्शा, खसरे के प्रस्तुत करना होगा।

क्रमांक: - - 2 - -

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4- शर्त सं0-04-शुद्ध वर्तमान मूल्य:-

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक:-30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक:-18-09-2003, 5-2/2006-एफ0सी0, दिनांक:-03-10-2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार मु0-18,98,730.00 (अट्टारह लाख अट्टानबे हजार सात सौ तीस रुपये मात्र) की धनराशि 2.89 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा करना होगा। शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की मांग का आंकलन निम्नप्रकार है:-

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि का आंकलन

- 1-ईको-क्लास श्रेणी - V
- 2-हरियाली का घनत्व- 0.2
- 3-एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रुपये- 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 2.89 है0
- 5-कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-2.89 है0 X 6,57,000.00 = 18,98,730.00

(अट्टारह लाख अट्टानबे हजार सात सौ तीस रुपये मात्र)

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करना होगा, इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

5- शर्त सं0-05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 161 trees including 9 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

6- शर्त सं0-06 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।

7- शर्त सं0-07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

8- शर्त सं0-08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

9- शर्त सं0-09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

10- शर्त सं0-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

11- शर्त सं0-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12- शर्त सं0-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

13- शर्त सं0-13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित प्रभागीय वनधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

14- शर्त सं0-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पन्न के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

- 15- शर्त सं0-15 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
- 16- शर्त सं0-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
- 17- शर्त सं0-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
- 18- शर्त सं0-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या-11-42/2017-एफ0सी0, दिनांक-29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
- 19- शर्त सं0-19 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
- 20- शर्त सं0-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
- 21- शर्त सं0-21 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश/आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 22- शर्त सं0-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या हार्ड कापी चार प्रतियों में मय संलग्नक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

~~प्रभागीय वनाधिकारी,~~
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

ख्या : / तददिनांकित।

तेलिफि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी